



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2012—अग्रहायण 8, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक 9/16/3306/21-ब/छ.ग./12.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केंद्रीय अधिनियम, 1987 का सं. 39) की धारा 10(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनहित में, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय VI-क के अधिनियमित सेवाओं को जनोपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित तथा सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

(10) बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाएं

100. किसी स्थापना द्वारा सामान्य जन को किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रदाय,"

16/3306/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 22-A of the Electricity Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), State Government, in public interest, hereby, includes the following services as public utility services for the purpose of Chapter VI-A of the said Act,

services of banking and other financial institution,

supply of any kind of fuel to the public by any establishment."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. सामंतराय, सचिव.